प्ररूप 4
(नियम 26)

नामांकन पत्र

सभा क्षेत्र/पंचायत समिति क्षेत्र/जिला परिषद् का नाम ______________________________

वार्ड संख्या (पंच तथा सदस्य की दशा में)______________________________

उम्मीदवार का नाम ______________________________

पिता अथवा पति का नाम ______________________________

आयु ______________________________

व्यवसाय ______________________________

पता ______________________________

जहां उम्मीदवार अनुसूचित जाति /पिछडे वर्ग का सदस्य है तो वह विशेष जाति जिससे सम्बन्धित है ______________________________

क्षेत्र से सम्बन्धित निर्वाचन नामावली पर उम्मीदवार की संख्या ।

"उम्मीदवार द्वारा घोषणा

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं सरपंच/पंच /सदस्य, पंचायत समिति/सदस्य, जिला परिषद के निर्वाचन के लिये उम्मीदवार के रूप में स्वयं नामांकित हो गया हूँ /हो गई हूँ।

मैं आगे घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं नीचे अभिकथित तथा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 175 में दी गई कोई अयोग्यता नहीं रखता हूँ/रखती हूँ।

कोई भी व्यक्ति किसी ग्राम पंचायत का सरपंच अथवा पंच अथवा किसी पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् का सदस्य नहीं होगा अथवा इस रूप में नहीं बना रहेगा जो:

(क) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व अथवा बाद में :–

(i) जब तक उसको सिद्ध दोषी से पांच वर्ष की अवधि अथवा ऐसी कम अवधि जो सरकार किसी विशिष्ट मामले में अनुज्ञात करे, बीत न गई हो, नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 (1955 का अधिनियम 22), के अधीन किसी अपराध ; या

(ii) जब तक उसकी नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि अथवा ऐसी कम अवधि जो सरकार किसी विशिष्ट मामले में अनुज्ञात करे, बीत न गई हो, किसी

अन्य अपराध का सिद्ध दोष न हो गया हो और कम से कम छः माह के कारावास से दण्डित रहा हो ; या

(ख) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित न्याय निर्णीत किया गया है ; अथवा

(ग) न्याय निर्णीत दिवालिया है और उन्मुक्ति प्राप्त न की हो ; अथवा

(घ) इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् में अथवा पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 तथा पंजाब पंचायत समिति अधिनियम, 1961 के अधीन इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व, किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् में उसके द्वारा धारित किसी पद से हटा दिया गया हो, और ऐसे हटाये जाने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि न बीत गई हो, जब तक वह राजपत्र में अधिसूचित किये गये सरकार के किसी आदेश द्वारा पद से ऐसे हटाये जाने के मद्दे उत्पन्न होने वाली अयोग्यताओ से निर्मुकत न कर दिया गया हो ; अथवा

(ङ.) इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन पद धारण करने से अयोग्य हो गया हो और अवधि, जिसके लिये वह इस प्रकार अयोग्य हो गया हो, बीत न गई हो ; अथवा

(च) किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् में किसी वैतनिक पद अथवा लाभ का पद धारण करता है ;

(छ) ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् के आदेश द्वारा किये गये किसी कार्य में स्वयं का या उसके भागीदार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई अशं या हित है ;

(ज) किसी ग्राम पंचायत के किसी अधिकारी या सेवक से अग्रिम या उधार लिये गये धन के किसी संव्यवहार में स्वयं का अथवा उसके भागीदार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई अशं या हित है ; या

(झ) ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् या उसके अधीनस्थ कोई ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् का उसके द्वारा देय किसी प्रकार का कोई बकाया अथवा इस अधिनियम के अध्यायों तथा उपबन्धों के अनुसार उससे वसूली योग्य कोई राशि, इस निमित बनाये गये नियमों के अनुसार उस पर तामील किये गये किसी नोटिस के पश्चात, तीन मास के भीतर भुगतान करने में असफल रहता है ;

(ञ) सरकार का सेवक है अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण का सेवक है ; या

(ट) स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर ली गई है; अथवा किसी विदेशी राज्य की सत्यनिष्ठा अथवा निष्ठा की किसी अभिस्वीकृति के अधीन है ; अथवा

(ठ) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्धों के अधीन अयोग्य है तथा अवधि, जिसके लिये वह इस प्रकार अयोग्य किया गया था बीत नहीं गई है ; अथवा

(ड) *ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् के अधीन पट्टे के लिये किसी अभिधृति का धारक, अभिधारी या पट्टाधारी है अथवा उसकी ओर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् के अधीन धारित किसी पट्टे या अभिधृति के किराये के बकाया है ; या*

(ढ) *निर्वाचन की तिथि से पूर्ववर्ती एक वर्ष की अवधि के दौरान ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद से सम्बन्धित भूमि या अन्य अचल सम्पति का अप्राधिकृत कब्जा है अथवा रखता है ; या*

(ण) *सरपंच या पंच या पंचायत समिति अथवा किसी जिला परिषद् का सदस्य होते हुये, नियमों के अधीन अनुज्ञात से अधिक नकदी हाथ में रखता है और विहित प्राधिकारी के किसी साधारण या विशेष आदेश के अनुसरण में, उसके द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रति वर्ष इक्कीस प्रतिशत की दर पर ब्याज सहित उसे जमा नहीं करवाता है ; अथवा*

(त) *ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् का सरपंच या पंच अथवा कोई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रधान या उप–प्रधान या सदस्य होते हुये, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् से सम्बन्धित अथवा उसमें निहित अभिलेख तथा पंजिया तथा अन्य सम्पति उसकी अभिरक्षा में है, तथा उसे विहित प्राधिकारी के किसी साधारण या विशेष आदेश के अनुसरण में, आदेश में विर्निदिष्ट समय के भीतर सौंप नहीं देता ;*

(थ) *आलोपित ;*

(द) *इस सम्बन्ध में उचित प्राधिकारी के बिना ग्राम पंचायत के विरूद्ध दावा मान लेता है;*

(ध) *नामांकन भरते समय मिथ्या जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है :*

परन्तु खण्ड (द) तथा (ध) के अधीन निर्हहता छः वर्ष की अवधि के लिए होगी

व्याख्या 1 :– कोई भी व्यक्ति खण्ड छः के अधीन किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् की सदस्यता के लिये केवल इस कारण से अयोग्य नहीं होगा कि ऐसा व्यक्ति :–

(क) *किसी सयुंक्त स्टाक कम्पनी में शेयर रखता है अथवा उस समय लागू किसी विधि के अधीन किसी पंजीकृत सोसयटी में कोई अशं या हित रखता है, जो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् में संविदा करेगा तथा उसके द्वारा अथवा उसके निमित नियोजित किया जायेगा ; अथवा*

(ख) *किसी समाचार पत्र में कोई शेयर या हित रखता है जिसमें किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् के कार्य कलापों के सम्बन्ध में कोई विज्ञापन प्रतिस्थापित किया जाये ; अथवा*

(ग) किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् द्वारा या उसकी ओर से लिये गये किसी ऋण में किसी डिबेन्चर का धारक है या अन्यथा सम्बन्ध है ; अथवा

(घ) एक विधि व्यवसायी के रूप में किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् की ओर से व्यवसायिक रूप में लगा हुआ है ; अथवा

(ङ) अचल सम्पति के किसी पट्टे में, जिसमें उसके अपने मामले में किराये की राशि का अनुमोदन ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् द्वारा किया गया है अथवा अचल सम्पति के विक्रय या क्रय में, अथवा ऐसे पट्टे, विक्रय या क्रय के किसी करार में, कोई शेयर अथवा हित रखता है; अथवा

(च) किसी वस्तु के ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् को यदा–कदा किये जाने वाले विक्रय जिसमें वह नियमित रूप में व्यापार करता है, या किसी वस्तु का ग्राम पंचायत से क्रय में जिसका मूल्य दोनों में से किसी भी दशा में किसी वर्ष में एक हजार रूपये से अधिक नहीं होगा, शेयर या हित रखता है।

व्याख्या 2 :– कोई भी व्यक्ति, यदि उसने उम्मीदवारों के नामांकन के लिये विहित दिन से पूर्व उपरोक्त खण्ड (i) में निर्दिष्ट बकाया राशि का भुगतान कर दिया है, तो अयोग्य नहीं समझा जायेगा।

तिथि ________________ उम्मीदवार के हस्ताक्षर

.... ।}

उम्मीदवार द्वारा घोषणा जो किसी अनुसूचित जाति/पिछडे वर्ग का सदस्य है

मैं इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं ____________________________ जाति का/की सदस्य हूं जो हरियाणा राज्य में अनुसूचित जाति/पिछडे वर्ग के रूप में घोषित की गई है ।

तिथि :– उम्मीदवार के हस्ताक्षर

____

(रिटरनिंग अधिकारी द्वारा भरा जाना)

सुपुर्दगी का प्रमाण पत्र

कम संख्या ________________________ यह नामांकन पत्र मुझे मेरे कार्यालय ________________________________ में (तिथि तथा समय) ____________________________ सपुर्द किया गया है ।

तिथि :– ________ रिटरनिंग अधिकारी के हस्ताक्षर

____

जांच का प्रमाण पत्र

मैने उम्मीदवार की पात्रता की जांच कर ली है और यह पाया है कि वह निर्वाचन के लिये खड़ा होने के योग्य है और इसलिये मैं __________ नामांकन पत्र स्वीकार करता हूं ______________________ मैने इस नामांकन पत्र की जांच की है और इसे निम्नलिखित कारणो से रद्द करता हूं ।

____

____

____

तिथि

नामांकन पत्र की जांच करने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर

उम्मीदवार को दिया गया प्रतीक ________________ है ।

रिटरनिंग अधिकारी के हस्ताक्षर

____

अनुबन्ध–I

यादी कमांकः   दिनांकः

प्रेषक

रिटरनिंग अधिकारी
कृते ____________________________

सेवा में

____
(इच्छुक उम्मीदवार का नाम)

विषय :– ____________________वार्ड नम्बर ___________से _________ पद के लिये निर्वाचन।

आपका ध्यान राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश संख्या रा0नि0आ0/ई–।।।/2003/8831 दिनांक 6/10/2003 के पैरा 10 की ओर दिलाया जाता है जिसके तहत वांछित सूचना पंचों व सरपंचों के मामलों में आयोग के पत्र कमांक एस0ई0सी0/2ई–।।।/2005/17950–68 दिनांक 14/3/2005 अनुसार सादे पेपर पर, तथा सदस्य पंचायत समिति व जिला परिषद द्वारा पक्के कागज पर, ओथ कमिशनर/प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट/नोटरी पलिब्क/ उपमण्डल अधिकारी (ना0) / तहसीलदार/नायब तहसीलदार (जिसके पास कार्यकारी मैजिस्ट्रेट की शक्तियां हों) जिसके अधिकार क्षेत्र में आता है, के सम्मुख विधिवत रूप से गृहीत शपथ अनुबन्ध–।। में एक अन्य शपथ/घोषणा पत्र भी फाईल किये जाने कि अपेक्षा की जाती है, जो नामाकंन पत्र के साथ फाईल किया जाना चाहिए ।

यह भी नोट किया जाना चाहिये कि यदि उक्त वर्णित अनुबन्ध–।। में शपथ/घोषणा पत्र नामांकन पत्रों के साथ प्रस्तुत नहीं किये जाता है तो आपका नामांकन पत्र रद्द किये जाने के लिये दायी होगा।

आप द्वारा यह बात नोट कर ली जानी चाहिये कि उक्त शपथ/घोषणा पत्र में कोई गलत अथवा अधूरी सूचना देने अथवा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपाने के कारण तथा लोक सेवक को गलत सूचना देने अथवा उससे महत्वपर्ण तथ्य छिपाने के कारण भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डात्मक परिणाम होगें।

रिटरनिंग अधिकारी

अनुबन्ध – II

(आदेश संख्या रा0नि0आ0/ई–III/2003/8831 दिनांक 6/10/2003, के तहत उम्मीदवारों द्वारा रिटरनिंग अधिकारी के सम्मुख नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाला शपथ/घोषणा पत्र)

टिप्पणीः–

1. पंचायत समिति व जिला परिषद के पद के लिए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों द्वारा शपथ पत्र न्यायिकेतर स्टाम्प पेपर/प्रलेख पेपर पर तैयार किया जायेगा जो प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट अथवा नोटरी पब्लिक अथवा उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त शपथ आयुक्त अथवा उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) /तहसीलदार/नायब तहसीलदार (जिसे कार्यकारी अधिकारी मैजिस्टैट की शक्तियां प्रदान की गई हों) जिसके क्षेत्राधिकार में क्षेत्र आता है, के सम्मुख गृहीत शपथ किया जायेगा ।

   पंच व सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों द्वारा वांछित शपथ/घोषणा पत्र सादे कागज पर तैयार किया जाये तथा सम्बन्धित रिटरनिंग अधिकारी को नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाये ।

2. कृप्या अनुबन्ध की विषय वस्तु ध्यानपूर्वक पढे तथा जो आप पर लागू न हो उसे काट दें।

ग्राम पंचायत ________________(नाम)____________(खण्ड) के सरपंच पद के लिये निर्वाचन अथवा

वार्ड संख्या _____ग्राम पंचायत ________________ (नाम) अथवा

पंचायत समिति ____________________(नाम) अथवा

जिला परिषद् ____________________ (नाम) के सदस्य के पद के लिये निर्वाचन।

मैं ____________________ सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री ____________________ आयु___________वर्ष निवासी ________________________________ उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी, सत्यानिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान और निम्न प्रकार से एतद् द्वारा शपथ लेता/लेती हूँ ।

(1) मुझे पूर्व में निम्नलिखित मामलो में आपराधिक आचरण के लिये दण्डित किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

(i) मुकदमा नम्बर

(ii) अधिनियम की धारा तथा आचरण का विवरण, जिसके लिये दण्डित किया गया है ।

(iii) दण्डित किये जाने की तिथि

(iv) दण्डित करने वाला/वाले न्यायालय का नाम

(v) दिया गया दण्ड (कैद की सजा की अवधि तथा/अथवा लगाये गये जुर्माने की राशि का उल्लेख करें)

(vi) उक्त दण्ड के विरूद्ध दायर की गई अपीलो/पुनः निरीक्षण याचिकाओं आदि का विवरण ।

(2) यह कि मुझे पूर्व में निम्नालिखित मामलो में दोषमुक्त/बरी किया गया है:—

(i) अधिनियम की धारा तथा आचरण का विवरण, जिसके लिये आरोपित किया गया।

(ii) मुकदमा नम्बर

(iii) जिस न्यायालय द्वारा दोषमुकत/बरी किया गया, उसका नाम

(iv) दोषमुक्त/बरी किये जाने की तिथि

(v) उक्त दोषमुक्त/बरी किये जाने के विरूद्व दायर की गई अपीलो/पुनः निरीक्षण/पुनः विचार हेतू आवेदन पत्रों, यदि कोई हो का विवरण ।

(3) यह कि वर्तमान नामांकन पत्र फाईल करने की तिथि से छः मास पूर्व समाप्त हुई अवधि में मुझे निम्नलिखित आचरणों, जिनमें दो वर्ष अथवा दो वर्ष से अधिक कैद की सजा हो सकती है, के लिये दोषारोपित किया गया है तथा जिनमें आरोप निर्धारित किये जा चुके है अथवा न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :—
(टिप्पणीः— इसमें उक्त (1) व (2) में वर्णित मामले सम्मिलित नहीं है)

(i) अधिनियम की धारा तथा आचरण का विवरण जिसके लिये अरोपित किया है। संज्ञान लिया गया है ।

(ii) आरोप निर्धारित करने वाले/संज्ञान लेने वाले न्यायालय का नाम।

(iii) मुकदमा नम्बर

(iv) आरोप निर्धारित करने/सज्ञांन लेने के न्यायालय के आदेश की तिथि

(v) आरोप निर्धारित करने/सज्ञांन लेने के उक्त आदेशों के विरूद्व दायर की गई अपीलो/पुनः निरीक्षण हेतू आवेदन पत्रों, यदि कोई हो, का विवरण।

3. यह कि मैं इसमें अपना, पति/पत्नी तथा आश्रितों की परिसम्पतियों (अचल, चल, बैंक जमा आदि) का विवरण नीचे दे रहा हूं।

(क) चल सम्पति का विवरण

(संयुक्त नाम पर परिसम्पतियों में संयुक्त स्वामित्व का भी उल्लेख किया जाये)

क स0	विवरण	स्वंय	पति/पत्नी का नाम	आश्रित–I का नाम	आश्रित–II का नाम	आश्रित–III आदि का नाम
	(i) नकद राशि का विवरण					
	(ii) बैंक ,वित्तीय संस्थानों और नान बैंकिग वित्तीय कम्पनियों में जमा राशि का विवरण।					
	(iii) कम्पनियों में बाण्डस डिबैन्चरस और शेयरों में निवेश की गई राशि का विवरण					
	(iv) अन्य वित्तीय इन्वैस्टमैन्टस, एन.एस.एस. ,डाक बचत, एल.आई.सी0 पालिसियां आदि में लगाई गई राशि का विवरण					
	(v) मोटरव्हीकलज (मेक इत्यादि सहित) का विवरण					
	(vi) जेवरात (भार और मूल्य सहित का विवरण)					
	(vii) अन्य परिसम्पतियों जैसे क्लेम के मूल्य/ब्याज का विवरण					

नोटः– सूचिबद्ध कम्पनियों के सम्बन्ध में स्टाक एक्सचेज में अद्यतन बाजार मूल्य के अनुसार और असूचिबद्ध कम्पनियों के सम्बन्ध में पुस्तक के अनुसार बाण्डो, शेयरों और डिबैंचरों का मूल्य दिया जाये ।

(यहां आश्रित का अर्थ उस व्यक्ति से हे जो प्रत्याशी की आय पर पूर्णत आश्रित है।)

(ख) अचल परिसम्पतियों का विवरण

(सयुंक्त स्वामित्व की परिसम्पतियों में सयुंक्त स्वामित्व का भाग भी इंगित किया जायेगा)

क स0	विवरण	स्वंय	पति/पत्नी का नाम	आश्रित–I का नाम	आश्रित–II का नाम	आश्रित–III आदि का नाम
	(i) कृषि भूमि – स्थिति (स्थितिया) – सर्वे संख्या/संख्यायें –विस्तार (पूर्ण माप) –वर्तमान बाजार मूल्य					
	(ii) **आकृषि भूमि** – स्थिति –सर्वे नम्बर –विस्तार (पूर्ण माप) –वर्तमान बाजार मूल्य					

	(iii) भवन (वाणिज्यक और आवासीय) – स्थिति –सर्वे /मकान नम्बर –विस्तार (कुल माप) –वर्तमान बाजार मूल्य				
	(iv) घर/बहुमंजिला मकान आदि – स्थिति –सर्वे /मकान नम्बर –विस्तार (कुल माप) –वर्तमान बाजार मूल्य				
	(v) अन्य जैसे सम्पति पर ब्याज				

4, नीचे अपने दायित्वों/सार्वजनिक वित्तीय संस्थओं के अतिशोध्य दायित्वों और सरकारी देयों का विवरण देता है ।

(नोट :– कृप्या प्रत्येक का अलग–2 विवरण दें)

क. सं0	विवरण	बैंक/वित्तीय संस्थानों	दिनांक ––––तक लम्बित धनराशि
(क)	(1) बैंक से ऋण (2) वित्तीय संस्थाओं से ऋण (3) सरकारी बकाया (आयकर तथा सम्पति कर से भिन्न) (किसी सार्वजनिक कार्यालय में पद धारण अथवा पद धारण कर चुके हो तो अदेयता प्रमाण पत्र संलग्न करें)		
(ख)			
	(1) आयकर /अधिभार सहित (आकलन वर्ष को इंगित करें जब तक का आयकर रिटरन दाखिल किया हो तथा स्थायी लेखा संख्या (पी.ए.एन.) भी दें)		
	(2) सम्पति कर (जब तक सम्पति कर रिटरन दाखिल किया हो तब का आकलन वर्ष इंगित करें)		
	(3) विकय कर (केवल स्वामित्व व्यापार के प्रकरण में)		
	(4) सम्पति कर		

5, मेरी शैक्षिक योग्यता निम्नलिखित है :–

(स्कूल /विश्वविद्यालय शिक्षा का विवरण दें)

(स्कूल/विश्वविद्यालय और वर्ष जिसमें कोर्स पूरा किया गया है ? का नाम दिया जाये।

स्थानः–
दिनांकः–

शपथी
पूरा नाम ______________________
पता __________________________
____

सत्यापन :–

मैं उपर्युक्त शपथी एतद्द्वारा सत्यापित तथा घोषित करता हूं कि इस शपथ पत्र में उल्लिखित तथ्य मेरी सम्पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं, इसका कोई भी भाग असत्य नहीं है और न ही कोई सारभूत तथ्य छिपाया गया है ।

दिनांक ————————सन् ——————को ——————————(स्थान)

स्थानः–
दिनांकः–

शपथी
पूरा नाम ______________________
पता __________________________
____

(जो लागू न हो उसे काट दे)

अनुबन्ध –III

यादी कमांक : दिनांक :–

प्रेषक

__________________________के लिये
रिटरनिंग अधिकारी

सेवा में

____
(उम्मीदवार का नाम)

विषय :– सरपंच, ग्राम पंचायत ___________ (नाम), सदस्य वार्ड संख्या ______ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद् _________________(नाम) पद के लिये निर्वाचन _________________अपेक्षित शपथ पत्र फाईल करने के सम्बन्ध में ।

आपने उक्त वर्णित निर्वाचन के लिये आज अपना नामांकन पत्र फाईल किया है परन्तु आपने अपने नामांकन पत्र के साथ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अपने आदेश संख्या रा. नि.आ./ई–III/2003/8831 दिनांक 6–10–2003 में दिये गये निर्धारित शपथ/घोषणा पत्र फाईल नहीं किये हैं। शपथ /घोषणा पत्र के फार्मेट की प्रतियां आपको नामांकन पत्र के साथ दी गई थी।

2. अतः इसके द्वारा, आपसे तत्काल एवं याथार्थ्य नामांकन पत्रों की संवीक्षा हेतू नियत तिथि और समय अर्थात् दिनांक ________________को _______________बजे से पूर्व वांछित सूचना पंचों तथा सरपंचों के मामलों में सादे पेपर पर तथा सदस्य पंचायत समिति व जिला परिषद द्वारा पक्के कागजों पर प्रथम श्रेणी मैजिस्टेट अथवा नोटरी पब्लिक अथवा उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त शपथ आयुक्त अथवा उपमण्डल अधिकारी/तहसीलदार/नायब तहसीलदार (जिसे कार्यकारी मैजिस्टेट की शक्तियां प्रदान की गई है) जिसके क्षेत्र में क्षेत्राधिकार है, के सम्मुख विधिवत् रूप से गृहीत निर्धारित शपथ /घोषणा पत्र में आवश्यक सूचना प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है ।

3. आप यह भी नोट कर लें कि उक्त वर्णित शपथ/घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं करने के परिणामस्वरूप आपका नामांकन पत्र रद्द कर दिया जायेगा ।

रिटरनिंग अधिकारी

अनुबन्ध –IV

प्रेषक

वार्ड संख्या ________________ ग्राम पंचायत,
पंचायत समिति/जिला परिषद्
____________________ के लिये रिटरनिंग अधिकारी।

सेवा में

____
(उम्मीदवार का नाम)

विषय :– वार्ड __________ से ___________ पद के लिये निर्वाचन ।

आज दिनांक _____________________ को आपसे प्राप्त नामांकन पत्र के सन्दर्भ में, आपका नाम, नामांकन रजिस्टर में क्रम संख्या _________ पर दर्ज किया गया है। आपकी जमानत राशि आपको पृथकत जारी की गई रसीद संख्या ____________ दिनांक ___________ के अन्तर्गत प्राप्त हो चुकी है। नामांकन की संवीक्षा दिनांक ___________ को _________________ बजे _____________________ (स्थान) पर की जायेगी।

आपको राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित रजिस्टर में निर्वाचन व्यय लेखा रखना होगा तथा निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जब भी अपेक्षा की जाये, इसे निरीक्षण के लिये प्रस्तुत करना होगा। निर्वाचन का परिणाम घोषित होने के पश्चात एक मास के अन्दर–अन्दर निर्वाचन व्यय लेखा उपायुक्त–एंव–जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित अनुसार किसी अन्य अधिकारी को दोहरी प्रति में प्रस्तुत करना होगा ।

रिटरनिंग अधिकारी

तारीख :
स्थान :

रिटरनिंग अधिकारी (पंचायत) /
सहायक रिटरनिंग अधिकारी (पंचायत)